

श्री इन्द्रपाल सिंह पुत्र श्री मूलासिंह
निवासी बी-114, सूर्य नगर अलवर

विषय:- खसरा नं० 170 कुल रकबा 7700 वर्गमीटर ग्राम गोलेटा, जिला अलवर मुख्यमंत्री जन आवास प्रोजेक्ट नं० 3ए में ब्लॉक-ए का पूर्णता/अधिवास प्रमाण पत्र बाबत।

उपरोक्त विषय से लेख है कि आपके द्वारा खसरा नं० 170 कुल रकबा 7700 वर्गमीटर ग्राम गोलेटा, जिला अलवर मुख्यमंत्री जन आवास प्रोजेक्ट नं० 3ए में ब्लॉक-ए का पूर्णता/अधिवास प्रमाण पत्र हेतु कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत किया गया है। भवन निर्माण स्वीकृति समिति की बैठक दिनांक 05.12.2022 के निर्णयानुसार पूर्णता प्रमाण पत्र के मध्य राशि 30,755/- रुपये जरिये रसीद संख्या 3182/10 दिनांक 04.01.2023 के द्वारा जमा करा दिये गये हैं।

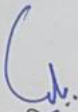
01. डवलपर द्वारा प्रस्तुत वास्तुविद श्री अंकित शर्मा द्वारा प्रदत्त रिपोर्ट के अनुसार ब्लॉक-ए का निर्माण स्वीकृत मानचित्रों के अनुसार किया गया है। जिसका वास्तुविद द्वारा पूर्णता/अधिवास प्रमाण पत्र जारी किया जा चुका है।
02. पूर्व में जारी भवन निर्माण स्वीकृति पत्र क्रमांक ALW/2020-21/BPAS/746 दिनांक 30.03.2022 में अंकित वर्णित शर्तों की पालना करनी होगी।
03. इस योजना के लिये सीवरेज, विद्युत एवं जल आपूर्ति समस्त जिम्मेवारी डवलपर्स की होगी। जिसका अण्डरटेकिंग 04.01.2023 को प्रस्तुत किया गया है। जिसकी पालना करनी होगी।
04. डवलपर द्वारा कोई भी नवीन निर्माण न्यास की बिना अनुमति के नहीं किया जावेगा।


उप नगर नियोजक
नगर विकास न्यास अलवर

क्रमांक:

प्रतिलिपि :-

01. प्रमारी अधिकारी नियमन शाखा, न्यास, अलवर को वास्ते सूचनार्थ।
02. अधिशाषी अभियन्ता, न्यास, अलवर को वास्ते सूचनार्थ।


सचिव
नगर विकास न्यास अलवर

दिनांक:


उप नगर नियोजक
(सदस्य सचिव)
नगर विकास न्यास, अलवर